मन्नी देवी – शंकर लाल कृ.अ. 60/23
~~केसरी – कन्हैया लाल आदि कृ.अ.~~

दिनांक	आज्ञा पत्र	
8.7.24	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है। ... अपीलांट शेष रेस्पोडेंट के रजिस्टर्डड नोटिस ... करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि ... का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 19.7.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
19.7.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. रेस्पो. 1 श्री छोटे (?) श्री महेन्द्र आर्य ने वकालतनामा पेश किया शामिल रहे। वास्ते बहस दिनांक 20.8.24 को पेश हो। [signature]	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
20.8.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 20.9.24 को पेश हो। [signature]	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
20.9.24	पत्रावली पेश। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26.9.24 पेश हो [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर
26.9.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 59/2023

1 मन्नी देवी पत्नी शंकरलाल आयु 56 साल
2 अशोक कुमार पुत्र शंकरलाल आयु 29 साल
3 पवन कुमार पुत्र शंकरलाल आयु 27 साल
4 कु. संगीता पुत्री शंकरलाल आयु 22 साल
समस्त जाति माली निवासीगण नांगलभीम रोड़ तन ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 शंकरलाल पुत्र स्व. मांगूराम आयु 60 साल जाति माली निवासी नांगलभीम रोड़ तन ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
2 कमला चेजारा पत्नी आत्माराम चेजारा आयु 60 साल जाति चेजारा निवासी नागल भीम रोड़ श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर।
3 पटवारी पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
4 उप पंजीयक महोदय, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
5 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट्स

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आरएएस प्रकरण संख्या 107/2022 उनवानी मन्नी देवी आदि बनाम शंकरलाल आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि. 1955 दिनांकित 05.07.2023 जिसके तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में प्रस्तुत किये गये कोस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया।

अपील संख्या 60/2023

1 मन्नी देवी पत्नी शंकरलाल आयु 56 साल
2 अशोक कुमार पुत्र शंकरलाल आयु 29 साल
3 पवन कुमार पुत्र शंकरलाल आयु 27 साल
4 कु. संगीता पुत्री शंकरलाल आयु 22 साल
समस्त जाति माली निवासीगण नांगलभीम रोड़ तन ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 शंकरलाल पुत्र स्व. मांगूराम आयु 60 साल जाति माली निवासी नांगलभीम रोड़ तन ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2 कमला चेजारा पत्नी आत्माराम चेजारा आयु 60 साल जाति चेजारा निवासी नागल भीम रोड़ श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर।
3 पटवारी पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
4 उप पंजीयक महोदय, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
5 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आरएएस प्रकरण संख्या 107/2022 उनवानी मन्नी देवी आदि बनाम शंकरलाल आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांकित 05.07.2023 जिसके तहत अपीलान्टस द्वारा योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को केवल मात्र आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री महेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–26.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 107/2022 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 115 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय में अप्रार्थीया संख्या 2 की ओर से कोस टीआई प्रस्तुत कर विवादित भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कय की गई भूमि 644.83 वर्गगज के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया एवं कोस टीआई स्वीकार की है। इससे व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से यह दो पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर जब यह निष्कर्ष निकाला जा चुका था कि अपीलाधीन प्रकरण में वर्णित भूमियों में अपीलान्टस का भी नोशनल शेयर है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने नोशनल शेयर से अधिक भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में विकय पत्र दिनांकित 04.05.2022 निष्पादित एवं पंजीकृत करवाये जाने से पूर्व ही कर दिया गया था तो विचारण न्यायालय को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में निष्पादित एवं पंजीकृत करवाये विकय पत्र दिनांकित 04.05.2022 में वर्णित भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई कारण एवं आधार मौजूद नहीं था। अपीलाधीन प्रकरण में वर्णित सम्पदा बिना बंटी हुई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में जो विकय पत्र दिनांकित 04.05.2022 निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया गया है वह विशिष्ट भू भाग बाबत निष्पादित एंव पंजीकृत करवाया गया है जो प्रारम्भतः ही शून्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनजबी केता है जिसको विवादित भूमि के संबंध में बिना बंटवारा करवाये बिना विवादित भूमि के किसी भी हक, हिस्से पर कब्जा प्राप्ति कोई हक, अधिकार हासिल नहीं है तथा विचारण न्यायालय द्वारा तो अपीलाधीन आदेश में एक तरह से मूलवाद एवं कोस दावा का ही निस्तारण करते हुये एक विशिष्ट भू–भाग पर उसका ही कब्जा, काश्त मानते हुए अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय पत्रावली पत्र उपलब्ध तथ्यों दस्तावेजों एवं कानूनी स्थिति का सही रूप से विवेचन विश्लेषण एंव मूल्यांकन नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण का निस्तारण करते समय तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का पृथक–पृथक रूप से निस्तारण नहीं किया गया। इस कारण भी अपीलाधीन आज्ञा स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपील स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2023 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत की गई कोस अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किये जाने बाबत पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलांट का आवेदन स्वीकार कर अपीलांट के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्ज वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदार मुताबिक जमाबंदी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हिस्से अनुसार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल जो प्रार्थीगण के पति/पिता है। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा एक भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल पुत्र मांगूराम जाति सैनी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से दिनांक 04.05.2022 को क्रय किया जाकर सद्भाविक क्रेता होना प्रमाणित होता है। उक्त रजिस्टर्ड करवाये गये विक्रय लेख का अमल दरामद होकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अभी तक दर्ज नहीं होना प्रकट होता है। उक्त विक्रय लेख को निरस्त घोषित कराने बाबत प्रार्थीगण के द्वारा एक अन्य वाद वरिष्ठ सिविल न्यायालय क्रम संख्या 1, श्रीमाधोपुर में पेश किया जाकर वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन होना प्रस्तुत फोटो प्रति से प्रकट होता है। प्रार्थीगण ने अपने पिता/पति शंकरलाल के द्वारा अपने उक्त पैतृक भूमियों को पूर्व में ही बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से एवं शेष भूमियों का बैचान जरिये इकरारनामा के माध्यम से किया जाना प्रकट होता है। अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल के हिस्से में कुल 0.17 हैक्टेयर भूमि आना तथा अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल के द्वारा कुल 3960 वर्गगज भूमि अर्थात लगभग 0.32 हैक्टेयर भूमि का बेचान किया जना प्रार्थीगण ने अवगत कराया है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल के द्वारा अपने हिस्से में आने वाली वैधानिक हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया जना तथा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा कराये गये विक्रय लेखों को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा पृथक से सिविल न्यायालय श्रीमाधोपुर में वादपत्र पेश किया जाना प्रार्थीगण के जवाब से प्रकट होता है। मूल वादपत्र में उभय पक्षकारान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की प्रकरण में बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर ही निश्चित हो सकेगा। जहां तक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से क्रय किये गये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के माध्यम से क्रय किये गये भूखण्ड के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को प्राप्त होने वाले मालिकाना हक का प्रश्न है। वह यदि अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अपने पक्ष में करवाये गये रजिस्टर्ड विक्रय लेख का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन हो जाता तो वह भी उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के सह खातेदार काश्तकार होती। अप्रार्थी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 2 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से भूखण्ड का क्रय किये जाने के उपरान्त मौके पर विक्रय पत्र के समय कब्जा क्रेता को सम्भलाया जाना प्रकट होता है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को भी उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि में विक्रेता के समान ही अधिकार प्राप्त होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करने में एवं अप्रार्थी संख्या 2 का कोस आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्ज वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदार मुताबिक जमाबंदी अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हिस्से अनुसार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल जो प्रार्थीगण के पति/पिता है। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा एक भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल पुत्र मांगूराम जाति सैनी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से दिनांक 04.05.2022 को क्रय किया जाकर सद्भाविक क्रेता होना प्रमाणित होता है। उक्त रजिस्टर्ड करवाये गये विक्रय लेख का अमल दरामद होकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अभी तक दर्ज नहीं होना प्रकट होता है। उक्त विक्रय लेख को निरस्त घोषित कराने बाबत प्रार्थीगण के द्वारा एक अन्य वाद वरिष्ठ सिविल न्यायालय क्रम संख्या 1, श्रीमाधोपुर में पेश किया जाकर वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन होना प्रस्तुत फोटो प्रति से प्रकट होता है। प्रार्थीगण ने अपने पिता/पति शंकरलाल के द्वारा अपने उक्त पैतृक भूमियों को पूर्व में ही बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से एवं शेष भूमियों का बैचान जरिये इकरारनामा के माध्यम से किया जाना प्रकट होता है। अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल के हिस्से में कुल 0.17 हैक्टेयर भूमि आना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तथा अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल के द्वारा कुल 3960 वर्गगज भूमि अर्थात लगभग 0.32 हैक्टेयर भूमि का बेचान किया जना प्रार्थीगण ने अवगत कराया है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल के द्वारा अपने हिस्से में आने वाली वैधानिक हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया जना तथा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा कराये गये विक्रय लेखों को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा पृथक से सिविल न्यायालय श्रीमाधोपुर में वादपत्र पेश किया जाना प्रार्थीगण के जवाब से प्रकट होता है। मूल वादपत्र में उभय पक्षकारान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की प्रकरण में बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर ही निश्चित हो सकेगा। जहां तक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से क्रय किये गये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के माध्यम से क्रय किये गये भूखण्ड के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को प्राप्त होने वाले मालिकाना हक का प्रश्न है। वह यदि अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अपने पक्ष में करवाये गये रजिस्टर्ड विक्रय लेख का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन हो जाता तो वह भी उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के सह खातेदार काश्तकार होती। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से भूखण्ड का क्रय किये जाने के उपरान्त मौके पर विक्रय पत्र के समय कब्जा क्रेता को सम्भलाया जाना प्रकट होता है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को भी उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि में विक्रेता के समान ही अधिकार प्राप्त होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करने में एवं अप्रार्थी संख्या 2 का क्रोस आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 26.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर